



M.P. PLASTIC PARK DEVELOPMENT CORPORATION Ltd.

A subsidiary of MPAKVN (Bhopal)
Tawa Complex, First Floor, Bittan Market, E-5, Arera Colony, Bhopal-462 016
Telephone : (O) 2420301-3, Fax : 0755-2420277
E-mail : mppdc@gmail.com Website - www.mpakvnbhopal.nic.in
CIN No. U74999 MP2013 SGC 030396

निविदा सूचना क्र. 20 वर्ष 2018-19

दिनांक: 09/01/2019

प्लास्टिक पार्क तामोट जिला रायसेन में प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन के लिये रिसायक्लिंग शेड का क्षेत्रफल 404.80 वर्गमीटर एवं (भूखण्ड क्षेत्रफल 4417.00 व.मी.) लीज पर दिये जाने हेतु तीन लिफाफा पद्धति से मोहरबंद निविदाएँ दिनांक 18.01.2019 को दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं एवं उसी दिनांक को 4.00 बजे निविदा खोली जावेंगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 16.01.2019 को दोपहर 3.00 बजे तक इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

क्रं.	कार्य का नाम	न्यूनतम किराया प्रतिमाह	धरोहर राशि डी. डी./एफ.डी.आर.	निविदा प्रपत्र का मूल्य रु	लीज की समयावधि
1.	रिसायक्लिंग शेड 2 नम्बर का एरियो 404.80 वर्गमीटर	रु. 21,000 / -	रु. 20,000 / -	2,000 +(360 जी.एस.टी.) =2360.00	10 वर्ष

नियम एवं शर्तें :-

आवेदन पत्र के साथ पेन कार्ड एवं जी.एस.टी. पंजीयन की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। निविदा की शेष शर्तें निगम की वेबसाईट www.mpakvnbhopal.nic.in एवं कार्यालय में कार्यालयीन समय पर दिनांक 16.01.2019 तक देखी जा सकती है।

कार्यपालन यंत्री



M.P. PLASTIC PARK DEVELOPMENT CORPORATION Ltd.

A subsidiary of MPAKVN (Bhopal)

Tawa Complex, First Floor, Bittan Market, E-5, Arera Colony, Bhopal-462 016

Telephone : (O) 2420301-3, Fax : 0755-2420277

E-mail : mppdc@gmail.com Website - www.mpakvnbhopal.nic.in

CIN No. U74999 MP2013 SGC 030396

:: निविदा की शर्तें ::

1. राशि रू 20,000/- की सुरक्षा निधि म.प्र.प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि० के नाम देय होगी तत्पश्चात ही निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता होगी।
2. 2 नम्बर रिसायकलिंग शेड की क्षमता 404.80 वर्गमीटर है।
3. कुल रिसायकलिंग केम्पस एरियाँ 4417.00 वर्गमीटर है।
4. 2 नम्बर रिसायकलिंग शेड को 10 वर्ष की लीज़ पर दिया जाना है प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के पश्चात मासिक किराये में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।
5. समस्त रिसायकलिंग मटेरियल केम्पस के अंदर ही रखना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
6. निविदा स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।
7. निर्णयों/विवादों आदि हेतु प्रबंध संचालक एम.पी.पी.पी.डी.सी.लि. का निर्णय सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा।
8. शेडों का बीमा लीजी को निगम के नाम से प्रतिवर्ष कराना अनिवार्य होगा।
9. प्रत्येक माह के 10 तारीख तक लीज की राशि अग्रिम अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा समयावधि पश्चात 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज़ देय होगा।
10. लीजी को बिजली, पानी की व्यवस्था एवं संबंधित विभागों से अनुमति आदि की कार्यवाही स्वयं लेनी होगी।
11. पेट्रोलियम/केरोसिन/गैस भंडारण तथा रसायनिक/ज्वलनशील/खतरनाक वस्तुओं के भण्डारण पर प्रतिबंध रहेगा।
12. अग्निशामक यंत्रों की व्यवस्था लीजी को स्वयं करनी होगी।
13. शेष शर्तें निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध में सम्मिलित होगी जिसे मान्य करना होगा।
14. अनुबंध के पूर्व सिक्यूरिटी डिपोजिट के रूप में तीन माह का लीज़ किराया अनुबंध के पूर्व जमा करना होगा एवं 12 नम्बर अग्रिम धनादेश कार्यालय में जमा करना होगा।

कार्यपालन यंत्री